## प्ररूप 6/FORM 6

[नियम 13(1) और 26 देखिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960] [See rules 13(1) and 26 of Registration of Electors Rules, 1960]

	निर्वाचव Appl	त्र नामावली में नाम सी ication for inclusion	म्मिलित किये ज on of name i	ाने के लिए अ	ावेदन roll					
महोदय/Sir, मैं प्रार्थना करता हुँ लिया जाए। निर्वाचक नामावल I request that my nam	ण अधिकारी/The E	lectoral Registrati न सभा/संसदीय £ निर्वाच embly/Parliamenta त्र के लिए निर्वाचक ना जाने के लिए मेरे दावे के the electoral roll f	on Officer. वन-क्षेत्र ry <sup>£</sup> Constitue मावली में मेरा न समर्थन में ब्यौरे or the above	ency गम सम्मिलित व नीचे दिये गये हैं e constituence	я <b>т</b> :	(র জিব	3.5 ×3.5 समें सामने स्पष्ट हो नि SPACE ON PAS: PHO O CM *:	सें.मी.) के चेहरे वपकाने वे FOR I IE REC SPORT OTOGE 3.5 CM FRONT	SIZE RAPH ) SHOW	ग्रान कृति र
Particulars in support I. आवेदक का ब्यौरा / App		नाम/Name	ectoral roll a		ow. पनाम (यरि	कोई है	)/Sun	name	(if any	)
1 जनवरी# को आयु Age as on 1st January#		वर्ष /Years :	मास/Mon	मास/Months :		लिंग (पुरुष / स्त्री / अन्य) : Sex (male/female/others) :				
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात है : Date of birth, if known	t	दिन/Day:	मास/Mon			The second section of the second second			1	
जन्म का स्थान/Place of birth :		ग्राम/नगर/Village	/Town :							_
		जिला/District :		राज्य/State:						
*पिता/ <u>Father's</u> माता/ <u>Mohter's</u> नाम/Name पति/ <u>Husband's</u>		नाम/Name		उपनाम (यदि कोई है)/Surname (if any)						
	place of present /Door number : ড়ক / Street/Area/		nce (Full add	dress) कोड / Pin Co	ode:					
जिला : /District :	/ Terisii/ Taluka/ivi	iandav mana ;			-	-	-		-	-
III. निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान Details of member	न नामावली में पहले रं (s) of applicant's	ते ही सम्मिलित किए ग s family already in	ए आवेदक के प	मरिवार के सद e current ele	स्य(यों) क ectoral ro	व्यौरा :	e Con	stitue	ency:	
नाम/Name अ	ावेदक के साथ संबंध elationship with applicant	निर्वाचन क्षेत्र की नामाव Part number of the Constit	ाली की भाग सं० the roll of	2.30 349 - 034 3 30		Section 1 Section 2 Sectio				
1.										
2.										

<sup>£</sup> उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में।

<sup>£</sup> In case of Union Territories having no Legislative Assembly and the State of Jammu and Kashmir.

<sup>#</sup> कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2007, 2008 आदि # Please give the year i.e. 2007, 2008 etc.

<sup>\*</sup>अनुपयुक्त विकल्प को काट दें। / \*Strike out the inappropriate alternative.

V. घोषणा : / Declaration :												
	₹: / I hereby declare that to the best of my knowledge and belief:											
(i) मैं भारत का नागरिक हैं ;	Thoreby decide that to the best of my knowledge and believe											
2												
i) मैं												
<ul> <li>मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सिम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;</li> <li>*इस या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सिम्मिलित नहीं किया गया है;</li> <li>I am a citizen of India;</li> </ul>												
							I am ordinarily resident at the address given in para II above since					
	या / Or											
* मेरा नामराज्य के	चिन क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रह इ ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए।											
*My name may have been included in the electoral re	oll for											
पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान) :	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है)											
Full Address (Earlier place of ordinary residence).												
	Electors photo identity card number (if already issued)											
	जारी करने की तारीख Date of issue											
	जारा करन का ताराख											
स्थान : तारीख : Place : Date :												
मोबाईल नंबर / Mobile No.	आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान											
AND THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE	The state of the s											
ई–मेल आई.डी. / E-mail I.D.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4) iate alternative.											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr की गई कार्यवाही व	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही वि	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43) iate alternative.											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही वि	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के ब्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही वित्रांचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने व 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4 internative.  के ब्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही वित्रांचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने व 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4 internative.  के ब्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही र (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के ब्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही वे (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के ब्यौरे /Details of action taken के राजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19  Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही वे (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के ब्यौरे /Details of action taken के राजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही र (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के ब्यौरे /Details of action taken के राजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही र (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के ब्यौरे /Details of action taken के राजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही विश्वासन श्रेप्त के निर्वासन को The application of  Shri/Smt./Km	Signature or thumb impression of the applican के और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (45 iate alternative.  के व्यौरे /Details of action taken क रिजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr  की गई कार्यवाही विश्वासन श्रेप्र के निर्वाचन श्रेप्र के निर्वाचन श्रिप्र के निर्वाचन श्रिप्र के निर्वाचन श्रिप्र के निर्वाचन श्रेप्र के निर्वाचन श्रिप्र के में दिये गये आवेदन को  The application of  Shri/Smt./Km  been  * स्वीकार कर लिया गया है / *Accepted  *नामंजूर कर दिया गया है / *Rejected  *स्वीकार करने / for * acceptance	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 iate alternative.  के स्प्रीर /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)  के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररू											
है-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr की गई कार्यवाही विश्वास की पित्र कार्यवाही विश्वास के निर्वास की किए Electoral  आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी  6 में दिये गये आवेदन को  The application of Shri/Smt./Km  been  * स्वीकार कर लिया गया है / *Accepted  *नामंजूर कर दिया गया है / *Rejected  *स्वीकार करने / for * acceptance विस्तृत कारण स्वीकार करने के लिये / Detailed reasons for के अधीन या उसके अनुसरण में / under or in pursuance	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के क्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
ई-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr की गई कार्यवाही हैं (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन (To be filled by Electoral आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी  6 में दिये गये आवेदन को  The application of  Shri/Smt./Km  been  * स्वीकार कर लिया गया है / *Accepted  *नामंजूर कर दिया गया है / *Rejected  *स्वीकार करने / for * acceptance विस्तृत कारण स्वीकार करने के लिये / Detailed reasons for के अधीन या उसके अनुसरण में / under or in pursuance [नियम 18* / rule 18*/	Signature or thumb impression of the applican और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने क 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (4: iate alternative.  के क्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)											
है-मेल आई.डी. / E-mail I.D.  टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (19 Note — Any person who makes a statement or dec false or does not believe to be true, is punishable u of 1950).  * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें / *Strike out the inappropr की गई कार्यवाही विश्वास की पित्र कार्यवाही विश्वास के निर्वास की किए Electoral  आवेदन पत्र  श्री/श्रीमती/कुमारी  6 में दिये गये आवेदन को  The application of Shri/Smt./Km  been  * स्वीकार कर लिया गया है / *Accepted  *नामंजूर कर दिया गया है / *Rejected  *स्वीकार करने / for * acceptance विस्तृत कारण स्वीकार करने के लिये / Detailed reasons for के अधीन या उसके अनुसरण में / under or in pursuance	Signature or thumb impression of the applicant और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का 50 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। laration which is false and which he either knows or believes to be inder section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 iate alternative.  के क्यौरे /Details of action taken क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है) Registration Officer of the constituency)  के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलत किए जाने हेतु प्ररूप											

नामंजूर करने / \* rejection (under or in pursuance of नियम 17 / rule 17/ नियम 20\* / rule 20\*/ नियम 26(4) £ / 26(4)£ ] :

स्थान	1	Place	
A -11. 1		1 1000	200

दिनांक / Date

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of Electoral Registration Officer (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर) (Seal of the Electoral Registration Officer)

P.S. No.:

- £ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात उसके सतत अद्यतीकरण के दौरान
- £ During continuous updating after final publication of electoral roll.

\*\* आवेदक द्वारा भरा जाएगा/\*To be filled in by the applicant.

Name:

- \* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।
- \* Strike out the inappropriate alternative

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षीय अधिकारी) की टिप्पणी। Remarks of Field Level Officer (e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer)

आवेदन की पावती /Receipt for a	application
**श्री/श्रीमती/कुमारी	
**पता	
से प्ररूप 6 में आवेद-	न प्राप्त किया।
(Received the application in Form 6 of **Shri/Shrimati/Kumari	
**Address	
देनांक Date	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electroral Registration Officer
Toll Free Number :- 1950  Website of Election Commission of India :-www.eci.nic.in  Website of Chief Electoral Officer, Haryana :- www.ceoharyana.nic.in e-mail id : ceo haryana@eci.gov.in	

नोट :- मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से सम्बन्धित जानकारी के लिए आप अपने B.L.O. से सम्पर्क कर सकते हैं। Note :- For any Inquiry Regarding Electoral Registration Contact the Booth Level Officer (B.L.O.).

Tel No.:

(यह पृष्ठ इतना मोटा होना चाहिए कि यह डाक से भेजे जाने पर क्षतिग्रस्त न हो) (This pagte should be thick enough so that it does not get mutilated/damaged in postal transit)

## कार्रवाई की सूचना

(इस पृष्ठ का अनुभाग-II संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और आवेदक को उसके द्वारा इस पृष्ठ के अनुभाग-I में दिये गये पते पर डाक से भेजा जायेगा) Intimation of action taken

(Section-II of the page is to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant in Section-I)

## अनुभाग - I/Section - I

आवेदन पत्र	प्रारूप नं. 6			डाक टिकट डिस्पैच के
The applic	ation in Form 6 of			समय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा लगाई
श्री/श्रीमती/कु	मारी			जाएगी।
	imati/Kumari :			Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority
**(पूरा पता)				Registration Authority at the time of dispatch
** (Full add				The second secon
मकान/गृह स	ांख्या			
	or number :			
गली/क्षेत्र/मोह	हल्ला/सड्क			
	a/Locality/Mohalla/Road :			
नगर/ग्राम				
Town/villag				
डाक घर			पिन संख्या 🗀	
Post Office			PIN Code	لالالكال
तहसील/तालु	क/मंडल/थाना			
Tehsil/Talu	ka/Mandal/Thana:		8.5	
जिला		***************************************		
District:				
**आवेदक ह	ारा भरा जाएगा			
**To be fille	ed in by the applicant :			
	3:	नुभाग - II/Section -	II .	
स्वीव	त कर लिया गया है तथा	•	7.	
	श्री/श्रीमती/कुमारी का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में	मतदाता सूची के क्र दर्ज कर विद्या	म संख्या	भाग संख्या
has	been—	44 47 10141	Q1	
(a)	Accepted and the name of Serial No	Shri/Shrimati/Kumari in Part No	h	as been registered at
(碅)				
(b)	Rejected for the reason			
2.15				
दिनांक			निर्वाचक पंजीयन अधि	
Date			Electoral Registra	ation Officer
		100		
			(Address)	

## आवेदन प्ररूप-6 भरने के लिए दिशा-निर्देश/Guidelines for filling up the Application Form-6 सामान्य अनुदेश / General Instructions

प्ररूप-6 कौन दाखिल कर सकता है / Who can file Form-6

उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो पहली बार आवेदन दे रहा है। / First time applicant on attaining age of 18 years or more on the first day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से ही रिजस्ट्रीकृत वह निर्वाचक जिसका मामूली तौर पर निवास स्थान अन्य निर्वाचन क्षेत्र में 2.

स्थानांतरित हो गया है। / Persons shifting his/her place of ordinary residence outside the constituency in which he/she

is already registered.

प्ररूप-6 कब दाखिल किया जा सकता है / When Form 6 can be filed

निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के प्ररूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषण होती है, तक उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है। / The application can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. The application is to be filed within the specific days provided for the purpose. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced.

2.

आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है। / Only one copy of the application is to be filled. नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर-पुनरीक्षण अविध 3. के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए। / Application for inclusion of name can be filed through out the year even when the revision programme is not going on. During non-revision period, application must be filed in

प्ररूप-6 कहां दाखिल किया जाए / Where to file Form-6

पुनरीक्षण अविध के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थानों (प्राय: मतदान केन्द्र स्थलों पर) जहां प्ररूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ-साथ निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है। / During revision period, the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer of the constituency.

वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया 2. जा सकता है। / During other period of the year when revision programme is not going on, the application can be filed

only with the Electoral Registration Officer.

प्ररूप-6 कैसे भरें / How to Fill the Form-6

- आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। खाली स्थान में निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। / The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which you seek registration. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.
- नाम (दस्तावेज साक्ष्य के साथ) / Name (With Documentary Proof) नाम, जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी) में होना चाहिए, उल्लिखित किया जाना चाहिए। उपनाम को 2. छोड़कर पूरा नाम पहले खाने में लिखा जाना चाहिए तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिए। आपका उपनाम नहीं होने की दशा में केवल दिया गया नाम ही लिखें। ऐसे मामले, जहां जाति के नाम का उल्लेख निर्वाचक के नाम या उपनाम के अंश के रूप में प्रयुक्त है को छोड़कर अन्यत्र नहीं किया जाना चाहिए। सम्मान सूचक पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

The name as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case you do not have a surname, just write the given name. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt. Kumari,

Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.

उम्र (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ) / Age (With Documentary Proof) उस वर्ष की 1 जनवरी, जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामाविलयों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, को आवेदक की उम्र अठारह वर्ष या अधिक होनी 3. चाहिए। उम्र वर्ष और महीनों में दर्शायी जानी चाहिए। / The age of the applicant should be eighteen or more on 1st January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. The age should be indicated in years and

उदाहरण के रूप में वह व्यक्ति जिसका जन्म 01.01.1993 को या उसके पहले हुआ है, वह 01.01.2011 के संदर्भ में पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में अपना नाम सिम्मिलित कराए जाने का पात्र होगा। जिस व्यक्ति का जन्म 02.01.1993 या उसके बाद तथा 01.01.1994 तक हुआ है, वह

01.01.2012 के संदर्भ में होने वाले पुनरीक्षण के संदर्भ में नाम सम्मिलित के लिए पात्र होगा।

e.g. A person born on or upto 1/1/1993 will be eligible for inclusion in the electoral roll which is being revised with reference to 1/1/2011. Persons born on 2/1/1993 or thereafter upto 1/1/1994 shall be eligible for inclusion during the next revision with reference to 1/1/2012.

दिए गए स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, जैसे कि पुरुष / महिला / अन्य । यदि आवेदक पुरुष या महिला का उल्लेख करना नहीं चाहते तो वे अपने लिंग को ''अन्य'' लिख सकते हैं। / Write your sex in full in the space provided e.g. Male / Female / Others. Applicants may indicate their sex as "Other" where they do not want to be described as male or female.

जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ) / Date of Birth (With Ducumentary Proof) जन्म तिथि को दिनांक/माह/वर्ष इस क्रम में निर्धारित स्थान में अंकों में भरें। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें— 5. Fill up the date of birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyy. Proof of date of birth to be attached are as under.

नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी किया गया जन्म-प्रमाण पत्र या दीक्षा प्रमाण-पत्र; या / (a) Birth certificate issued by a municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate; or

आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र ; (b) या / Birth certificate from the school (Govt./Recognised) last attended by the applicant or any other recognised educational institution; or

(c) यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे अधिक पास है तो उसे कक्षा 10 की अंक तालिका की प्रति देनी चाहिए; यदि उसमें जन्म तिथि अंकित है तो जन्म तिथि के प्रमाण हेतु.देनी चाहिए; या If a person is class 10 or more pass, he should give a copy of the marksheet of class 10, if it contains date

of birth as a proof of date of birth; or आठवीं कक्षा की अंक तालिका यदि उसमें जन्म तिथि अंकित है ; या (b)

Marksheet of class 8 if it contains date of birth; or

पांचवीं कक्षा की अंक तालिका यदि उसमें जन्म तिथि अंकित है : या

Marksheet of class 5 if it contains date of birth; or

बदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके माता-पिता में से किसी के द्वारा अनुलग्नक-I में निर्धारित प्रपत्र में की गई उद्घोषणा (उन केसों में जहां माता-पिता द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण हेतु उद्घोषणा की जाती है, वहां प्रार्थी को पड़ताल के समय (f) बी.एल.ओ./निर्याचक पंजीचन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा) ; या A declaration in prescribed format given in Annexure-I made by either of his parents if the person is not educated till class 10 (in those cases where parental declaration is given as proof of age, the applicant will

have to be present himself for verification before BLO/ERO/AERO); or यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ नहीं है और उसके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो उसके जन्म तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम सभा के सरपंच या सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका के सदस्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। A certificate of his age given by a sarpanch of the concerned Gram Panchayat or by a member of the concerned Municipal Corporation/Municipal Committee, the perosn is not educated till class 10 and both (g)

the parents are not alive. भारतीय पासपोर्ट / Indian Passport. टिप्पणी : जन्म तिथि का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन केंसों में अपेक्षित होगा जहां प्रार्थी की आयु 18 व 21 वर्ष के बीच है । अन्य सभी केसों में प्रार्थी द्वारा आयु के सम्बन्ध में की गई उद्घोषण ही आयु के प्रमाण के तौर पर ली जाएगी।

Note: Documentary proof of age will be required only in those cases, where age of the applicant is between 18 and 21 years. In all other cases declaration of his age by the applicant will be taken as proof of age.

जन्म स्थान / Place of birth 6.

जन्म स्थान भारत में होने की दशा में, कृपया स्थान का नाम जैसे ग्राम/शहर, जिला, राज्य का उल्लेख करें।

In case born in India, Please mention name of place like Village/Town, District, State.

परिवार के अन्य सदस्य का नाम / Relation's Name 7.

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पित के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ में अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें। / In case of unmarried female, applicant, name of Father/Mother is to be mentioned. In case of married female applicant, name of Husband is to be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

वर्तमान मामूली तौर से निवास का स्थान / Place of Ordinary Residence.

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक-पता उल्लिखित करें, जहां आप मामूली तौर से निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते 1 / Fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered. In the space provided. वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें :

Proof of ordinary residence to be attached are as under:

वैंक/किसानं/डाक-घर का चालू पासबुक, या / Bank/Kisan/Post Office current Pass Book, or आवेदन का राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेश, या / Applicants Ration Card/Passport/Driving (ii) License/Income Tax Return Filed or Order, or आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल, या

Latest Water/Telephone/Electricity/Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his/her immediate relation like parents etc., or

डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई/सुपुर्द की गई डाक।

Postal department's posts received/delivered in the applicant's name at the given address. टिप्पृणी : घर विहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में बी.एल.ओ. फार्म 6 में दिए गए पते पर रात के समय जाकर यह पता लगाएंगे कि घर विहीन व्यक्ति फार्म 6 में दिए गए पते पर रात को वास्तव में सोता है। यदि बी.एल.ओ. यह पड़ताल कर लेता है कि घर विहीन व्यक्ति उस पते पर वास्तव में सोया है तो निवास हेतु दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी पड़ताल हेतु बी.एल.ओ. द्वारा आवश्यक रूप से एक रात में एक से अधिक दौरे करने होंगे।

Note: In case of homeless persons, the BLO will visit the address given in Form 6 at night to ascertain that the homeless person actually sleeps at the place which is given as his address in Form 6. If the BLO is able to verify that the homeless person actually sleeps at the place, no documentary proof of place of residence shall be necessary. BLO must visit for more than one night for such verification.

निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित परिवार के सदस्यों के ब्योरे कृपया निकट पारिवारिक संबंधियों जैसे पिता/माता/भाई/बहन/पित/पत्नी का नाम व अन्य ब्योरे उल्लिखित करें जिनको वर्तमान निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिया गया है। किसी अन्य सम्बन्धी जैसे चाचा, चाची, चचेरे भाई/बहन

आदि के नाम का उक्षेख नहीं किया जाना है। / Details of Family Members Already Included in the Electoral Roll. Please fill up name and other particulars of immediate family members i.e. Father/Mother/Brother/Sister/Spouse included in the current electoral roll of the constituency. Name of any other relation like uncle, aunt, cousin brother/sisters etc. not to be mentioned

10. घोषणा / Declaration

कपया उस तिथि को इंगित करें जब से आप दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं। यदि निश्चित तिथि, ज्ञात न हो तो महीना व वर्ष का उल्लेख करें। Please indicate date from which you are residing in the given address. In case the exact date is not known, fill-up

यदि आपका नाम पहले से ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा चुका है, तो कृपया पिन कोड के साथ अपना पूर्व का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। / If your name is already included in the electoral roll of any other constituency, please

write legibly the full previous address with PIN code.

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके जारी होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनों तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करें। / If you already have been issued with a Photo Identity Card by the Election Commission, Please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

विविध / Miscellaneous कई स्थानों पर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की फोटो भी मुद्रित हैं। आपके पास प्ररूप के साथ एक पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो जमा करने के लिये किया जाएगा। / In many places the photograph of the elector is also printed in the electoral roll. You have the option to submit one recent coloured passport-size photograph alongwith the form. The photograph will be used to print your image in the electoral roll and issue of identity card, if required.

used to print your image in the electoral roll and issue of identity card, if required. कृपया पावती तथा सूचना अनुमाग में अपना पूरा नाम व पता उल्लिखित करें। कुर्या आपनी मोबाईल संख्या और ई-मेल आई.डी. प्ररूप में ऐच्छिक रूप से उल्लिखित करें, यदि यह उल्लिखित की जाती है तो इनका उपयोग निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा आवेदक को आवश्यकतानुसार विभिन्न सूचनाएं देने में किया जा सकेगा।
Please also give your full name and address on the acknowledgement and intimation portions.
Please give your mobile number and E-mail I.D. in the Form, which is optional, as the same, if given, may be used by the Electoral Registration Officer for further communication with the applicant whenever required.